

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 01 फरवरी, 2019

संख्या:1/पी०-1004/2018-सा०प्र०-1441/श्री बैद्यनाथ यादव, भा०प्र०से०(2007), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल)को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट- 2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें अररिया जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री बैद्यनाथ यादव अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:1/पी०-1004/2018-सा०प्र०-1442/श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा०प्र०से०(2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा)को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री चन्द्रशेखर सिंह अगले आदेश तक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या:1/पी०-1004/2018-सा०प्र०-1443/श्री महेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट- 2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें सुपौल जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री महेन्द्र कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:1/पी०-1004/2018-सा०प्र०-1444/श्री हिमांशु शर्मा, भा०प्र०से०(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट- 2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें किशनगंज जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री हिमांशु शर्मा अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:1/पी०-1004/2018-सा०प्र०-1445/श्री त्यागराजन एस० एम०, भा०प्र०से०(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट- 2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें दरभंगा जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री त्यागराजन एस० एम० अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:1/पी०-1004/2018-सा०प्र०-1446/सुश्री इनायत खान, भा०प्र०से०(2012), संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट- 2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें शेखपुरा जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. सुश्री इनायत खान अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:1/पी०—1004/2018—सा०प्र०—1447/श्री राजेश मीणा, भा०प्र०से०(2012) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट— 2, 1974) की धारा—20 के तहत उन्हें मुंगेर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री राजेश मीणा अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।


संख्या:1/पी०—1004/2018—सा०प्र०—1448/श्री योगेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०(2013), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहार शरीफ के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट— 2, 1974) की धारा—20 के तहत उन्हें नालन्दा जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री योगेन्द्र सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:1/पी०—1004/2018—सा०प्र०—1449/श्री आनन्द शर्मा, भा०प्र०से०(2013), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री शर्मा अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


01.2.19
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:— संख्या:—1/पी०—1004/2018—सा०प्र०—1449/ पटना—15, दिनांक: 01 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.) , बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/ संबंधित विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना /भू—संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशास्त्रा पदाधिकारी, प्रशास्त्रा—०१ एवं ०६ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


01.2.19
सरकार के अवर सचिव।